संयुक्त अभ्यावेदन श्री महिपाल खाखा दिनांक 09/09/2012 रेसीडेंट कमिश्नर कार्यालय, झारखण्ड भवन, दिल्ली में वाहन चालकों की भर्ती विषयक श्री विवेक नारायण अखौरी, सीएओ द्वारा अपमानजनक व्यवहार के संदर्भ में आयोग में हुई बैठक दिनांक 03/10/2012 का कार्यवृत्त।

सं0 एमएचपी/6/2012/एसटीजीडीएच/एटीपीएचएचआर/आर.यू.–1

बैठक में निम्नलिखित उपस्थिति–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	डा0 रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष
2.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर, उप निदेशक

रेसीडेंट कमिश्नर कार्यालय, झारखण्ड भवन, झारखण्ड सरकार, नई दिल्ली

1.	श्री विमल कीर्ति सिंह, रेसीडेंट कमिश्नर

प्राथीगण

1.	श्री सुदर्शन उरांव
2.	श्री चार्ल्स हासदा
3.	श्री महिपाल खाखा
4.	श्री राजेश किस्कु

पृष्ठभूमि

सर्वश्री महिपाल खाखा, सुदर्शन उरांव, राजेश किस्कु और चार्ल्स हासदा ने आयेाग को अपने संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 09/09/2012 के द्वारा सूचित किया कि वाहन चालकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्रों पर जानकारी लेने के लिए सीएओ श्री नारायण अखौरी के कार्यालय में दिनांक 7 सितंबर, 2012 को दोपहर 1 बजे झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में गए थे। इसी सूचना के आधार पर हमलोग अपना आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर श्री अखौरी को अपना आवेदन सौंपना चाह रहे थे, मगर हमारा आवेदन देखकर ''श्री अखौरी आग बबूला हो गए और गुस्से में भड़क कर हमें अपमानजनक गाली–गलौज करने पर उतारू हो गए। उन्होंने हमें कहा कि तुम आदिवासियों को कैसे हिम्मत हुआ कि मेरे कार्यालय में घुस आए। आदिवासी लोग कामचोर और बद्तमीज होते हैं। इसलिए तुम सभी आदिवासी वैसे ही हो, तुम्हारे जैसे आदिवासियों के लिए झारखण्ड भवन में कोई जगह नहीं है। तुम अविलम्ब मेरे कार्यालय से बाहर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड से धक्के मरवाकर निकाल बाहर करूंगा। उक्त अपमानजनक बरताव से भयभीत होकर हम सभी वाहन चालकगण अपना आवेदन पत्र वहीं छोड़कर वापस आ गए।''

प्रार्थीगणों ने आयोग से अनुरोध किया कि उनके साथ हुए अपमानजनक दुर्व्यहार करने एवं उपरोक्त लोक सेवक के हाथों हमारे उत्पीड़न के आरोप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1955 की धारा 12(4) और 3(2)(VII) के

डा0 रामेश्वर उराँव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

अंतर्गत झारखण्ड भवन के सीएओ श्री विवके नारायण आखौरी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए एवं कानूनन इन्हें सजा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने मामले में रेसीडेन्ट कमिश्नर, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड भवन, दिल्ली को वास्तविक स्थिति की जानकारी एवं विषय पर चर्चा के लिए 03/10/2012 को आयोग में बुलाया।

रेसीडेन्ट कमिश्नर ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर मामले में जानकारी दी कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, झारखण्ड भवन के कार्यालय में आवश्यकता की तुलना में वाहन चालकों की कमी है। वाहन चालकों की कमी के कारण झारखण्ड भवन में उपलब्ध वाहनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः नई दिल्ली स्थित माननीय मुख्य मंत्री सिविल कार्यालय एवं नई दिल्ली स्थित उप निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रकोष्ठ के लिए पूर्णतया संविदा आधार पर वाहन चालक रखने के लिए कदम उठाये गये थे। झारखण्ड के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए अप्रैल, 2012 में झारखण्ड राज्य से संबंध रखने वाले तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से 4 कुशल पूर्व सेना कर्मी वाहन चालकों के नाम भेजने के लिए पुनर्स्थापन महानिदेशक (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) से निवेदन किया गया था। झारखण्ड के उम्मीदवारों को वरीयता देना सुनिश्चित करने के लिए मामले को सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, रांची के साथ गंभीरतापूर्वक उठाया गया जिन्होंने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी झारखण्ड भवन को 10 उम्मीदवारों (9 अनुसूचित जनजाति से एवं 1 अन्य पिछड़ा वर्ग) के नाम भेजें। सभी उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, रांची के समक्ष 21/05/2012 को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना दी गयी। उम्मीदवारों को टेलीग्राम द्वारा स्मरण कराया गया तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, रांची को भी अपने स्तर पर सूचना देने के लिए निवेदन किया गया तथा 10 पूर्व सेना कर्मियों में से केवल 4 उम्मीदवार नियत तिथि पर जिला परिवहन अधिकारी, रांची के समक्ष उपस्थित हुए और उनमें से किसी को भी योग्य नहीं पाया गया। उपरोक्त के बारे में प्रभारी जिला सैनिक कल्याण परिषद्, रांची को सूचित किया गया एवं एक बार फिर अन्य पूर्व सेना कर्मी कार चालकों का नाम भेजने का निवेदन किया गया।

इसके प्रत्युत्तर में 10 (5 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 3 सामान्य श्रेणी) पूर्व सेना कर्मियों के नाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, झारखण्ड भवन को भेजे गए। इन व्यक्तियों को जिला परिवहन अधिकारी, रांची के समक्ष 6 जून, 2012 को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। फिर से केवल 4 उम्मीदवार (2 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 1 सामान्य श्रेणी उम्मीदवार) उपस्थित हुए एवं कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की।

प्रार्थीगणों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अभिकथन दिया कि उपरोक्त वाहन चालक के लिए आवेदन लेकर श्री अखौरी साहब के पास गये थे। श्री अखौरी साहब ने ठीक बर्ताव नही किया जबकि वह रिसेप्सन से अनुमति लेकर श्री अखौरी साहब से मिलने गये थे। उनका आवेदन पर कार्यवाही होना प्रतीत नहीं हुई। प्रार्थियों ने यह भी सूचित की कि जिन 2 वाहन चालकों की नियुक्ति की गयी है वे हिमाचल प्रदेश के हैं। प्राथीगणों ने जोर देकर कहा कि **हमने नियुक्ति का अभ्यावेदन दिया। हमें नियुक्ति प्राप्त हो या न हो**

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India

किन्तु जो अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ है वह संज्ञेय अपराध है तथा जो हम आदिवासी प्रदेश से यहां नौकरियों के लिए आए हैं और हमारे साथ ही अभद्र व्यवहार किया जाता है जो सम्मानजनक नहीं है।

निष्कर्ष

आयोग ने रेसीडेन्ट कमिश्नर, झारखण्ड भवन, दिल्ली को सलाह दी कि वह उपरोक्त दिन की घटना पर जांच करें। प्रार्थियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर झारखण्ड भवन के सीएओ के ऊपर की गयी कार्रवाई, वाहन चालकों के नियुक्ति में आवेदन का पूरा ब्योरा तथा की गयी कार्रवाई की सूचना आयोग को तीन माह के अन्दर भेजी जाए।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi